

आदेश

उपजिलाधिकारी लैन्सडोन ने अपने पत्र संख्या-58/आर0सी0/2020 दिनांक लैन्सडोन 29 अक्टूबर 2020 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पौखाल-माण्डलू से खमाणा मोटर मार्ग के म्यूटेशन के सम्बन्ध में जाचोपरान्त पाया गया कि ग्राम खमाणा,पट्टी मल्ला डंगू-1 तहसील जाखणीखाल के खसरा संख्या- 3411 रक्बा 3.259 है0,जो कि नॉन0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 9(ख) खाता संख्या-5 झाडी,उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है इस सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण हेतु उक्त भूमि पर कोई वृक्ष नहीं है तथा न ही पथरीली भूमि है,वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को पूर्व में निरीक्षण कर भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया है।

जनपद गढ़वाल के ग्राम खमाणा,पट्टी मल्ला डंगू-1 तहसील जाखणीखाल के खसरा संख्या- 3411 रक्बा 3.259 है0,जो कि नॉन0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 9(ख) खाता संख्या-5 झाडी,उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज है इस सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!
संख्या- R-453 /8-एल0ए0सी0-(2020-2021) दिनांक पौड़ी नवम्बर 20, 2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव,राजस्व अनुभाग-1,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
- 4- उप प्रबन्धक,एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड,पी0आई0सू0 दुगडडा,जनपद गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी,लैन्सडोन।

^{LR-5}
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।